न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या 428 सन 2025

(CNR No. UPFT-01005406 2025)

ओमप्रकाश– बनाम –राज्य उ०प्र० एवं अन्य

03.04.2026–

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली प्रार्थनापत्र 4ब अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम की सुनवाई हेतु नियत है। प्रार्थनापत्र 4ब पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

आवेदक ओमप्रकाश की ओर से प्रार्थनापत्र 4ब मय शपथपत्र 5ब निगरानी योजित करने में कारित विलम्ब को क्षमा करने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया है कि आवेदक के पिता अत्यधिक वृद्ध व बीमारी के कारण स्वर्गवासी हो गये व बाद में उसकी पत्नी भी अत्यधिक बीमार हो गयी, जिसके इलाज व देखरेख में लगे होने के कारण समय से दाण्डिक निगरानी दाखिल नहीं कर सका। आवेदक द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। अतएव विलम्ब को क्षमा करते हुए निगरानी को गुण दोष पर सुनवाई करने की कृपा करें।।

विपक्षीगण की ओर से मौखिक आपत्ति करते हुए प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक की ओर से यह कथन किया गया है कि उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में 17 दिन का विलम्ब कारित हुआ है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। प्राकृतिक न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए मामले को गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जाना न्यायसंगत होगा। इस बिन्दु पर मैने **कलेक्टर लैंड इक्वीजशिन अनंतनाग व अन्य बनाम एम कटीजी व अन्य ए०आई०आर० 1987 सुप्रीम कोर्ट 1351 तथा रामनाथ साओ उर्फ रामनाथ साहू व अन्य बनाम गोवर्धन साओ ए०आई०आर० 2002 (एस०सी०) एवं सैनिक सिक्योरिटी बनाम शीलाबाई 2008 (71) ए०एल०आर० 302(एस०सी०)** की विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि विलम्ब क्षमा किये जाने के प्रार्थनापत्र का निस्तारण उदारतापूवर्क किया जाना चाहिए जब तक कि आवेदक का जानबूझकर उपेक्षा कारित किये जाने का उद्देश्य न हो।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र में किये गये कथन शपथपत्र से

समर्थित है। निगरानी योजित किये जाने में जो विलम्ब किया गया है, उसका विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रार्थनापत्र/शपथपत्र में उल्लिखित है। प्रस्तुत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रार्थनापत्र 4ब समुचित हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 4ब मु०–350/–रुपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आवेदक अन्दर 10 दिवस हर्जा की धनराशि अदा करे। हर्जा अदा होने के उपरान्त आवेदक द्वारा दाण्डिक निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। दाण्डिक निगरानी अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 16.04.2026 को पेश हो।

सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।
03.04.2026

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.04.08 15:47:48 +05'30'